

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज)
पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)



प्रकरण संख्या :-211/2016

बउनवान

अरुण कुमार उर्फ बबलू पुत्र मदन जाति गुर्जर निवासी सोरखण्डकलां तहसील बारा

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां जिला बारां

(रेस्पोजेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :- 1- परोकार सरकार

(रेस्पोजेन्ट)

निर्णय दिनांक 05.07.2018

अपीलांट द्वारा जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के प्रकरण संख्या 09/2014 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2014 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम सीमली की सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर सम्वत् 2070 में खसरा नम्बर 680 की रकबा 1.00 है। भूमि पर अतिक्रमण कर फसल सरसों काश्त करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 60 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 500/- रुपये शास्ति से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 18.04.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोजेन्ट को जयें नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस समाप्त करने हेतु अपीलांट के अभिभाषक को 20 अवसर दिये जाने के उपरांत भी उनके द्वारा बहस नहीं की तथा ना ही गत 6 पेशियों से न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहे। अतः हमने परोकार सरकार की एक पक्षीय बहस समाप्त की।

दौराने बहस परोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर अतिक्रमण कर फसल सरसों काश्त की है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा पूर्व में भी अतिक्रमण किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 11/2012 में पारित निर्णय की पालना में पटवारी हल्का द्वारा बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2070 में किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई सजा बहाल रखी जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने पेरुकार सरकार के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, तथा गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का परीक्षण किया। हम पेरुकार सरकार के तर्कों से पूर्णतया सहमत हैं। अपीलांट ने राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर फसल सरसों काश्त की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है ।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 9/2014 मे अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 28.01.2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
अति० जिला कलक्टर,
बारां